राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/245

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	173/24	23/05/24	10/6/24 [illegible]	6/6/24

अनवान

श्री लादूलाल पुत्र भूरा ढरोगा ...... श्री राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार

निवासी भरखेड़ी तह. बिजोलियाँ ...... निवासी बिजोलियाँ ......

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री ओमप्रकाश पालीवाल ......

श्री ......

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

लादूलाल बनाम राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार

मिसल मुकदमा 111-128 नम्बर 173 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/05/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 06 / 06 2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
6/6/24	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते हु. आदेश पेश हो। तामील प्राप्त। उप खण्ड अधिकारी	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बाद तामील प्राप्त हुई विपक्षी पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की ओर से कि आपत्ति दर्ज नहीं की गई। पत्रावली में आदेश पारित कर तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 173/24 तारीख दायर 23/05/24

1–लादुलाल पुत्र भूरा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:–आदेश:–

दिनांक 10/6/24

प्रार्थनापत्र लादु लाल पुत्र भूरा ने जरिये अभिभाशक **श्री दीपक मीणा एडवोकट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 100 आराजी नंबर 25/15 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार /गैर खातेदार का तकार है। पडोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित खाता संख्या 100 आराजी नंबर 25/15 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

बिजौलियॉ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 173/24 तारीख दायर 23/05/24

प्रेशितिः–

तहसीलदार

बिजौलियॉ

विषय :–प्रकरण संख्या ....173/24........पत्थरगढी बाबत्।

1–लादुलाल पुत्र भूरा जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–भूमिधारी अधिकारी श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **भूमि मौजा ग्राम भटखेडी पटवार क्षैत्र माल का खेडा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र श्यामपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा(राज.) में स्थित** संख्या **100 आराजी नंबर 25/15 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कीजा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **श्यामपुरा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ